

Rural Aug.

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सिरसा।

हिसार बाईपास रोड, सिरसा टेलिफोन नं० 01666-243307
Email:- forest_sirsa@yahoo.com & dfo.sir-hry@nic.in

क्रमांक: 2926

सेवा में

कार्यकारी अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी,
मण्डल न० 2, सिरसा।

दिनांक: 11/08/21

विषय:

Diversion of 0.4752 ha of forest land for laying 400mm I/d RCC Pipeline from Sirsa Distributary to existing Water Works at village Mochiwala, under Forest Division & Distt. Sirsa.

Online Proposal No. FP/HR/Water/41852/2019

संदर्भ: भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पृ० क्रमांक 9-HRB128/2021-CHA दिनांक 03.08.2021।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सन्दर्भांकित पत्र द्वारा इस केस में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अतः सी०ए० स्कीम अनुसार आप द्वारा जमा करवाई जाने वाली राशि का डिमांड नोट निम्नप्रकार से जारी करते हुए आपको लिखा जाता है कि आप यह राशि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की website www.parivesh.nic.in के माध्यम से अपने केस में चालान जनरेट करके उसमें अंकित लेखा में जमा करवाए।

Sr. No.	Particular	Amount
1	Compensatory Afforestation	3994146.64
2	Additional Compensatory Afforestation Rs. 7621290/-	1771597.30
3	Penal Compensatory Afforestation Rs. 0.00	0.00
4	Catchment Area treatment (Soil & Moisture Conservation Charges)	1198243.99
5	Safety Zone	0.00
6	Additional Charges for Protected Area	0.00
7	Net Present Value (NPV)	421502.00
8	Felling Charges	235800.00
9	Total	7621289.93

इसके अतिरिक्त

- बिन्दू स० (vi) अनुरूप 'no such proposal for compliance of conditions of Stage-1 approval is pending with this division' बारे प्रमाण पत्र
- बिन्दू स० (vii) अनुरूप अनुसूचित जनजाति और वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की अनुपालना के लिए सिरसा से प्राप्त प्रमाण पत्र
- बिन्दू स० (viii) अनुरूप Administrative Approval की प्रति इस वन मण्डल कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करे।
- बिन्दू स० (ix) अनुरूप आपके कार्यालय से संबंधित केस Proposal no. FP/HR/Water/268/2009 इस कार्यालय में अभी तक प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा न करवाने की अवस्था में लम्बित है जिसकी अन्तिम स्वीकृति जारी नहीं होने तक संदर्भांकित केस की अन्तिम स्वीकृति जारी नहीं की जाएगी।

वन मण्डल अधिकारी,
सिरसा।